न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/82/2014

1. भंवर चौधरी पुत्र श्री मोहरी लाल आयु 39 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम रामोला, बगरू कलॉ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. श्योजीराम, पुत्र स्व0 हरबक्श जाति जाट निवासी ग्रांम झांग, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक : 07.10.2022**

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि 3537 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 3538 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुलय रकबा 0.61 है0 हिस्सा 1/4 वाकै ग्राम बगरूकलॉ, पटवार हल्का बगरूकलॉ, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलॉ, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि में से वादी ने 439/1525 भाग का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2014 को कर दिया था, उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि में अपने निवास हेतु मकान का निर्माण करवा लिया तथा काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में कुछ समय से फितूर आया हुआ है, जिससे वादी की वादग्रस्त भूमि में अपने खरीदशुदा भूमि से अधिक भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण आदि कर उक्त [illegible] व्यावसायिक गतिविधिया आरम्भ कर कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने [illegible] उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग का बेचान करने पर आमादा हो रहा है जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी नियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 05.11.2014 को मय दलबल के वादग्रस्त भूमि पर आया तथा उक्त भूमि में व्यावसायिक गतिविधिया आरंभ करने की नियत से दुकानात बनाने के लिये नाप जोख करने लगे, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने हेतु मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1, वादी से नाराज हो गया तथा जबरन निर्माण करने पर आमादा हो गया, जिसका वादी ने विरोध किया तो मौके पर हल्ला सुनकर राह चलते व्यक्तियों की काफी संख्या में भीड इकट्ठी हो गई, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व उसके साथ आये अन्य व्यक्ति उस समय तो मौके पर से चले गये लेकिन जाते समय वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ने एलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्राप्त कर उक्त भूमि पर जबरन दुकानात आदि का निर्माण कर उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर व्यावसायिक गतिविधियॉ आरम्भ कर अन्य व्यक्तियों को विक्रय, हस्तान्तरण करके रहेगा, जिसका की प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि उक्त भूमि संयुक्त अविभाजित है। वाद में विवादमूल दिनांक 05.11.2014 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने पर उत्पन्न होकर लगातार उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण व निर्माण आदि नहीं करे करावे एवं किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधियॉ आरम्भ नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे करावे एवं उक्त भूमि के किसी भी विशिष्ठ भू–भाग का बेचान नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 उक्त भूमि के स्वामित्व हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज पंजीबद्व नही करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 जरिये वकील उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से राजकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगण को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:38:02 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

भी वादी व प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य वादी व प्रतिवादी का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। वादपत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी द्वार प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न विक्रय–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयता खसरा नंबर 3537, व 3538 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 हैक्टेयर में वादी हिस्से 1/4 का खातेदार काश्तकार था वादी द्वारा अपने 1/4 हिस्से में से 439/1525 भाग का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को कर कब्जा संभला दिया है चूँकि वादग्रस्त आराजीयात में वादी के 1/4 हिस्से में से 439/1525 भाग का क्रय प्रतिवादी संख्या 1 ने कर लिया है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात में वादी के साथ सह–खातेदार काश्तकार हो गया है। सर्वप्रथम तो विवादित आराजी में समस्त सहखातेदार समान हित व अधिकार रखते है। दूसरा, एक सहखातेदार यदि अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध कोई अनुतोष चाहता है तो इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान किये गये है। मुताबिक जमाबंदी विवादित आराजियात अविभाजित संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है। इसके अतिरिक्त जब तक वादी यह प्रमाणित नही कर दे कि अपने किस निश्चित भू–भाग पर वह स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है तब तक संयुक्त खातेदारी की आराजी पर निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही। चूंकि प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है।

इस प्रकार वादी का दावा साक्ष्यो से प्रमाणित नही होने से पोषनीय नही है।

अतः खारिज होने योग्य होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:38:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I** (आर.ए.एस.)

भंवर चौधरी **बनाम** श्योजीराम वगै.

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/82/2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का दावा साक्ष्यो से प्रमाणित नही होने से पोषनीय नही है। अतः खारिज होने योग्य होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

निज ......✓...... मुबलिग ......✓...... बाबत् ......✓......

.... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह ......✓......

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......✓......

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.10.2022 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा .... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:38:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner